न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 41/2022(2022/159)

1. गोपाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी केसरपुरा (जूनिया) तहसील केकडी जिला अजमेर।

----प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी।

---- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–
प्रार्थी वकील :– श्री हेमराज कानावत
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम केसरपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2071–76** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
318–40	5611/6129	0.30	बारानी 2
	कुल किता 1	रकबा 0.30हैक्टर	

उक्त वाद वर्णित आराजी वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आधार मे वादी का नाम बतौर खातेदार काश्त का अंकन हो रखा है। वादी ही उक्त आराजी का मालिक एव स्वामी बतौर रिकार्डेड खातेदार है। वादी के अलावा अन्य दीगर व्यक्ति का उक्त वाद वर्णित आराजी से किसी प्रकार का कोई विधिक सम्बन्ध सरोकार नही है। यह कि वाद वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे रकबा 0.30 हैक्टर अंकन हो रहा है लेकिन मौके पर भौतिक रूप से कब्जा एरिया पूरा नही होकर कम हो रखा है जिससे वादी अपनी खातेदारी की आराजी के सम्पूर्ण रकबा का सही उपभोग उपयोग नहीं कर पा रहा है एवं वादी के कब्जे काश्त मे अनेक प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है जिससे वादी उक्त वाद वर्णित आराजी की स्थायी पत्थर गढी करवाना चाहता है जिससे उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वादी ने वाद वर्णित आराजी का सीमाज्ञान करने के लिये प्रतिवादी से दिनांक 15.03.2022 को निवेदन किया लेकिन वादी की कोई सुनवायी नही हुई तथा मान्य न्यायालय से स्थायी पत्थर गढी किये जाने के आदेश लाने को कहा गया था जिससे वादी को अपनी खातेदारी की वाद वर्णित आराजी की स्थायी पत्थर गढी कराने बाबत् मान्य न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वाद का मूल कारण वाद वर्णित आराजी का मौके पर रकबा एरिया कम होने तथा खातेदारी की आराजी के सम्पूर्ण रकबा का सही उपभोग नही होने एवं स्थायी पत्थर गढी के अभाव मे कब्जे काश्त मे व्यवधान उत्पन्न होने से एवं प्रतिवादी द्वारा वादी की दिनांक 15.03.2022 की सुनवायी नही करने से उत्पन्न हुआ एवं दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादी लैण्ड लोर्ड होने एवं स्थायी पत्थर गढी आदेश की पालना के लिए अधिकृत होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद सुनने का मान्य न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार है तथा वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है एवं स्थायी पत्थर गढी हेतु वादपत्र नियमानुसार कोट फीस चस्पा की कर दी गयी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:45:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा समिति)

Scanned with CamScanner

है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में बताया कि राजहित प्रभावित नही है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नही बनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम केसरपुरा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या नया पुराना 318–40 के खसरा नंबर 5611/6129 रकबा 0.30हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी लोक अदालत बैंच तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी जिला–अजमेर	सदस्य (विकास पंचोली) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी केकड़ी लोक अदालत बैंच (तालुका विधिक सेवा समिति) केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:45:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner